24.9.19 को पेश है

पंचायत नि. सं. 83/17 सोहनलाल v/s मंगलाराम

24/9/19 प्रार्थी (अपीलार्थी) व उसके अधिवक्ता को बार-2 आवाज लगवाये जाने पर उपस्थित नहीं हुआ है ~~उक्त~~ के अनुसार-2 के समान बार-2 आदेश के बावजूद नहीं किये हैं। उक्त प्रार्थी की निगरानी अपील खारिज व उक्त फैसले के खारीज की जाती है। फाइल फैसल शुमार हो। L.C. का रेकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नियमानुसार फैसल हो।

अपर कलक्टर, नागौर

कार्यालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान